

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 94

प्रकरण क्रमांक- SM-EXP-2024-02229

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "आर्ची आईकॉन सिटी", प्रमोटर-सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि., द्वारा-श्री सुबोध सिंघानिया, पता-हर्षित कॉर्पोरेट, जी.ई.रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"आर्ची आईकॉन सिटी", पता-ओरेठी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
03/04/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री आदित्य श्रीवास्तव उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन की विस्तारण हेतु दिनांक 02.04.2024 को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा कॉलोनाईजर लाईसेंस की नवीनीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी के पास दिनांक 23.02.2024 को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 5,000/- (पांच हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है।</p> <p>अनावेदक द्वारा शास्ति की राशि निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 03.04.2024 को जमा कर चालान की मूल प्रति पेश किया गया। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे।</p> <p>प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया। अनावेदक को भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	